भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: *408
28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राजस्थान में चिकित्सा महाविद्यालय

***408. श्री लुम्बाराम चौधरी:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश के प्रत्येक जिले में चिकित्सा और स्नातकोत्तर चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान के जालौर जिले सहित तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार और जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सहित राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार देशभर में कितने नए चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं;

(घ) क्या सीमित चिकित्सा सुविधाओं वाले किसी जिले में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय न होने के कारण नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना के विकास के लिए राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

<u>उत्तर</u>
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

28 मार्च, 2025 **के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.** 408 **के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) से (ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) का संचालन करता है, जिसमें ऐसे अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है, जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज मौजूद नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच फंड शेयरिंग तंत्र पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में और अन्य राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में है। इस योजना के तहत, राजस्थान के 23 मेडिकल कॉलेजों सहित सभी परिकल्पित 157 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को पहले ही मंजूरी दे दी गई है। देश में स्वीकृत मेडिकल कॉलेजों का चरणवार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

यह मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्रवाई के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करती है। मंत्रालय ने एनएचएम के तहत स्वास्थ्य अवसंरचना के एक भाग के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भवन अवसंरचना के निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 5953.35 करोड़ रुपये; वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 5179.09 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 5134.76 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-II** में हैं।

अनुलग्नक-I

'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत अनुमोदित 157 मेडिकल कॉलेजों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कॉलेजों की संख्या	जिला
चरण-I (58)			
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	पोर्ट ब्लेयर
2	अरुणाचल प्रदेश	1	नाहरलगुन
3	असम	4	धुबरी, नगांव, उत्तरी लखीमपुर, दीफू
4	बिहार	3	पूर्णिया, सारण (छपरा),समस्तीपुर
5	छत्तीसगढ़	2	राजनंदगांव, सरगुजा
6	हिमाचल प्रदेश	3	चम्बा, हमीरपुर, नाहन (सिरमौर)
7	हरियाणा	1	भिवानी
8	झारखंड	3	दुमका, हज़ारीबाग़, पलामू (डाल्टनगंज)
9	जम्मू और कश्मीर	5	अनंतनाग, बारामूला, राजौरी, डोडा, कठुआ
10	मध्य प्रदेश	7	दतिया, खंडवा, रतलाम, शहडोल, विदिशा, छिंदवाड़ा, शिवपुरी
11	महाराष्ट्र	1	गोंदिया
12	मेघालय	1	पश्चिमी गारो हिल्स (तुरा)
13	मिजोरम	1	फ़ॉकवन
14	नागालैंड	1	नागा अस्पताल (कोहिमा)
15	ओडिशा	5	बालासोर, बारीपदा (मयूरभंज), बोलांगीर, कोरापुट, पुरी
16	पंजाब	1	एसएएस नगर
17	राजस्थान	7	बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, डूंगरपुर, पाली, सीकर
18	उत्तर प्रदेश	5	बस्ती, फैजाबाद, फिरोजाबाद, शाहजहाँपुर, बहराईच
19	उत्तराखंड	1	अल्मोड़ा
20	पश्चिम बंगाल	5	बीरभूम (रामपुर हाट), कूच बिहार, डायमंड हार्बर, पुरुलिया, रायगंज (उत्तर दिनाजपुर)
चरण-II (24)			
1	बिहार	5	सीतामढी, झंझारपुर, सीवान, बक्सर, जमुई
2	झारखंड	2	कोडरमा, चाईबासा (सिंहभूम)
3	मध्य प्रदेश	1	सतना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कॉलेजों की संख्या	जिला
4	ओडिशा	1	जाजपुर
5	राजस्थान	1	धौलपुर
6	उत्तर प्रदेश	8	एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फ़तेहपुर, सिद्धार्थनगर (डुमरियागंज), देवरिया, ग़ाज़ीपुर, मिर्ज़ापुर
7	पश्चिम बंगाल	5	बारासत, उलूबेरिया, आरामबाग, झाड़ग्राम, तमलुक
8	सिक्किम	1	गंगटोक
चरण-III (75)			
1	आंध्र प्रदेश	3	पिडुगुरल्ला, पाडेरु, मछलीपट्टनम
2	असम	1	कोकराझार
3	छत्तीसगढ़	3	कोरबा, महासमुंद, कांकेर
4	गुजरात	5	नर्मदा, नवसारी, पंचमहल, पोरबंदर, मोरबी
5	जम्मू और कश्मीर	2	उधमपुर, हंदवाड़ा (जिला कुपवाड़ा)
6	कर्नाटक	4	चिक्कमगलुरु, हावेरी, यादगिरि, चिक्कबल्लापुर
7	लद्दाख	1	लेह
8	मध्य प्रदेश	6	राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, श्योपुर, सिंगरौली
9	महाराष्ट्र	1	नंदुरबार
10	मणिपुर	1	छुरछंदपुर
11	नागालैंड	1	सोमवार
12	ओडिशा	1	कालाहांडी
13	पंजाब	2	कपूरथला, होशियारपुर
14	राजस्थान	15	अलवर, बारां, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, करौली, नागौर, श्री गंगानगर, सिरोही, बूंदी, सवाईमाधोपुर, टोंक, हनुमानगढ़, झुंझुनू, दौसा
15	उत्तराखंड	3	रुद्रपुर (जिला उधम सिंह नगर), पिथौरागढ, हरिद्वार
16	उत्तर प्रदेश	14	बिजनौर,कुशीनगर,सुल्तानपुर,गोंडा,ललितपुर,लखीमपुरखीर, चंदौली,बुलंदशहर,सोनभद्र,पीलीभीत,औरैया,कानपुर देहात,कौशांबी,अमेठी
17	तमिलनाडु	11	तिरुप्पुर, नीलगिरी, रामनाथपुरम, नमक्कल, डिंडीगुल, विरुधुनगर, कृष्णागिरि, तिरुवल्लुर, नागपट्टिनम, अरियालुर, कल्लकुरिची
18	पश्चिम बंगाल	1	जलपाईगुड़ी

अनुलग्नक- II

वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत अवसंरचना सुदृढ़ीकरण (ग्रामीण) के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार एसपीआईपी अनुमोदन:

क्र.सं.	राज्य	2021-22	2022-23	2023-24
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1.59	0.02	0.05
2	आंध्र प्रदेश	23.33	0	8.23
3	अरुणाचल प्रदेश	56.34	47.27	20.59
4	असम	233.72	358.07	103.82
5	बिहार	373.58	989.44	522.63
6	चंडीगढ़	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	146.66	75.50	75.50
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.03	0.03	0.03
9	दिल्ली	5.00	0	0
10	गोवा	1.25	2.32	1.97
11	गुजरात	6.75	45.99	0
12	हरियाणा	126.13	82.96	0.76
13	हिमाचल प्रदेश	35.47	0	6.00
14	जम्मू और कश्मीर	33.69	15.35	33.11
15	झारखंड	23.52	92.00	86.75
16	कर्नाटक	151.03	71.14	46.05
17	केरल	58.37	126.33	180.43
18	लक्षद्वीप	0	0	0

19	मध्य प्रदेश	228.86	180.59	394.20
20	महाराष्ट्र	541.47	588.44	583.91
21	मणिपुर	28.58	17.80	0
22	मेघालय	16.09	10.03	0.11
23	मिजोरम	0.18	0.03	0
24	नागालैंड	10.05	30.69	21.27
25	ओडिशा	322.20	607.26	466.31
26	पुदुचेरी	0.23	0	0
27	पंजाब	51.42	8.00	0
28	राजस्थान	821.59	556.63	556.63
29	सिक्किम	3.71	0.31	0.61
30	तमिलनाडु	245.32	519.63	736.95
31	तेलंगाना	75.12	113.87	408.95
32	त्रिपुरा	48.74	48.28	44.17
33	उत्तर प्रदेश	1,225.40	375.90	1,617.98
34	उत्तराखंड	129.56	95.44	8.04
35	पश्चिम बंगाल	78.52	92.98	5.02
36	लद्दाख	31.25	26.81	23.26

*****